न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 179/2011
पंजीयन दिनांक 21.10.2011

(1). नारायण पिता लालु जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।
(2). हुरजी पिता लालु जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।
(3). नका पिता लालु जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।
(4). मांगु पिता वलीग जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।

-अपीलांटगण

बनाम

(1). रामलाल पिता जोरया भील निवासी गोडी
(2). प्रभू पिता जोरया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(3). शंकर पिता जोरया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(4). भैरू पिता जोरया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(5). नारजी पिता जोरया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(6). खातु पिता गोलीया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(7). भीमजी पिता गोलिया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(8). शंभू पिता गोलिया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(9). मोहन पिता गोलिया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(10). नकुराम पिता जोरिया जाति भील निवासी गोडी तहसील पीपलखूंट
(11). बागजी पिता जीवणा जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।
(12). छगन पिता जीवणा जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।
(13). धनकी पत्नि वालिंग जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।
(14). मेती पिता लालु जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।
(15). इत्री पत्नी लालू जाति भील निवासी बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।
(16). राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार घाटोल जिला प्रतापगढ़ ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल
प्रकरण संख्या 16/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2007

उपस्थित वक्त बहस-(1). कृष्णगोपाल झंवर-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). शांतिलाल बसेर- रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 11 से 15-बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 16

निर्णय **दिनांक 07.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के स्वमित्व व आधिपत्य की मौजा वदलीखेड़ा तहसील घाटोल की आराजी सख्या 49, 375, 376, 384, 386 स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण ने दिनांक 15.06.2004 को हल, बैल लेकर वादीगण अपीलांट्गण की उक्त आराजीयात मे अनाधिकृत अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण दिनांक 05.07.2004 को दर्ज किया जाकर प्रकरण संख्या 16/2004 नियत हुआ। तथा प्रकरण जवाबदावे हेतु नियत किया गया। उक्त प्रकरण के दौरान प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध एक वादपत्र अपने खातेदारी व कब्जे काश्त के आधार पर घोषणा व रेकॉर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया जो प्रकरण दिनांक 26.07.2004 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण संख्या 17/2004 नियत किया गया जो जवाबदावा हेतु नियत किया गया। उक्त दोनो प्रकरण संख्या 16/2004 एवं 17/2004 जवाबदावा हेतु नियत थे, इसी दौरान प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एक अन्य वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हुआ जो नाकुडा व अन्य बनाम रामलाल वगेरह के उनवान से दिनांक 14.09.2004 को दर्ज रजिस्टर होकर प्रकरण संख्या 34/2004 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त वाद जवाबदावा हेतु निर्धारित हुआ। प्रतिवादीगण के प्रकरण संख्या 17/2004 व 34/2004 मे जवाबदावा पेश किया गया तथा निवेदन किया कि आराजी संख्या 386 एवं 385 जिसके मूल आराजी सख्या 42 है जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त अपने बापदादाओं के समय से चला आ रहा है तथा मूल आराजी संख्या 42 प्रतिवादीगण के पूर्वज फतीया पिता कचरा के सेटलमेंट से खातेदारी का होना बताया है। तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण ने अलग से वादी अपीलांट की खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। इसलिये वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य बताया ।

उपरोक्त तीनो प्रकरणो मे विचारण के दौरान प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि तीनो प्रकरण एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बंधित है तथा वादग्रस्त आराजी के पक्षकार भी एकसमान ही है परन्तु नये खातो का इन्द्राज अलग-अलग होने से भिन्न-भिन्न दावे पेश किये गये है तथा वादों की बहुलता को रोकने के लिये तीनो प्रकरणो को समेकित किया जाना आवश्यक है । जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तीनो प्रकरणो का अवलोकन करने के पश्चात दिनांक 03.08.2005 को समेकित कर दिया जिससे मूल प्रकरण वागजी बनाम रामलाल वगेरह प्रकरण संख्या 16/2004 रहा। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण का वाद जो वादीगण अपीलांटगण के विरूद्ध पेश किया गया। वादीगण अपीलांटगण की ओर से अपने वाद के समर्थन मे दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से अपने दावे तथा प्रतिदावे के समर्थन मे दस्तावेज पेश किये गये । तत्पश्चात तनकीयात कायम की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिवायी जाकर बहस सुनी गई। दिनांक 31.08.2009 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 372, 373, 374, 386, 387, 388, 389, 402, 403, 401, 411, 283 कुल किता 12 कुल रकबा 8.19 हैक्टेयर का प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की ।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी

नायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून ग्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण वादीगण व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 11 से 15 तक ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । उक्त वाद मे प्रतिवादीगणो की तरफ से कोस वाद पेश किया गया जो मुकदमा नम्बर 94/2004 पर दर्ज हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनो प्रकरण का एक साथ निर्णय कर अपीलांटगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किया व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 तक का वादपत्र स्वीकार कर वादपत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 10 तक की खातेदारी की घोषित की जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांटगण वादीगण खातेदार काश्तकार होकर काबिज है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तीन प्रकरण समेकित कर उक्त तीनो प्रकरणों मे एक साथ एक ही निर्णय पारित किया है जबकि सभी प्रकरण मे पक्षकारान मुकदमा एवं कृषि आराजीयात अलग-अलग है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 से 4 का निर्णय वादीगण अपीलांटगण के विरूद्ध करने मे भारी भूल की है जबकि दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पूरी तरह साबित है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकीयात का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तीन प्रकरणो को समेकित किया गया जिसमे प्रकरण संख्या 17/2004 जो आराजी संख्या 372, 373, 374, 386, 387, 388, 389, 402, 403, 404, 411, 283 से संबधित है व प्रकरण संख्या 34/2004 जो आराजी संख्या 385 से संबंधित है, व प्रकरण संख्या 16/2004 जो आराजी संख्या 49, 375, 376, 384, 386 मौजा बडलीखेड़ा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ से संबंधित है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा खातेदारी के संबंध मे कोई दावा नहीं किया गया तथा प्रकरण मे पक्षकार नहीं होने के बावजूद उनको खातेदार कायम किया गया है। सभी मुकदमो मे आराजी संख्या अलग-अलग व पक्षकार भी अलग-अलग है। अन्त मे अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2007 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.08.2007 को निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसकी जानकारी अपीलांटगण वादीगण को होने के बावजूद अपीलांटगण वादीगण ने 4 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द अपील प्रस्तुत की है। साथ ही अपील मे हुई देरी का उचित कारण भी नही बताया है। अन्य प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अन्त मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 16 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 209 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत हुआ जो कि आराजी संख्या 49, 375, 376, 384, 386 के संबंध मे था। साथ ही प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 209, 136 के अन्तर्गत इन्ही आराजीयात से संबंधित था। साथ ही एक अन्य वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 209 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जो आराजी संख्या 385 मोजा बड़लीखेड़ा तहसील घाटोल से संबंधित था। इस प्रकार उक्त तीनो वादपत्र भिन्न-भिन्न आराजीयात व भिन्न अनवान के होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तीनो वादपत्रों को समेकित किया जाकर तीनो वादपत्र मे एक ही निर्णय पारित कर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 10 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत तीनों वादपत्र भिन्न-भिन्न पक्षकारान व भिन्न-भिन्न आराजीयात से संबंधित थे। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विधिक बिन्दुओं को नजर अंदाज कर मात्र वादो की बाहुल्यता को कम करने की भावना से समेकित किया जाकर एक ही निर्णय से उक्त तीनो वादपत्र निर्णित किया जाना पाया जाता है जिससे अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल प्रकरण संख्या 16/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि प्रकरण संख्या 16/2004 को शेष प्रकरणो से पृथक कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर अजसरे तनकीवार नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)